उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2017/146(120)/XXVII(8)/2008
देहरादून :: दिनांक:: 12 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 62/2017/146(120)/XXVII(8)/2008, दिनांक 25 जनवरी, 2017 को अधिक्रमित करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

अनुसूची III के क्रमांक 4 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात:–

क्रम संख्या	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
4	(1) एविएशन टरबाईन फ्यूल	नि0 या आ0	20 प्रतिशत
	(2) एविएशन टरबाईन फ्यूल Regional Connectivity Scheme(RCS) की विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 10 वर्षों की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन विनिर्दिष्ट 01 प्रतिशत कर की दर अनुमन्य होगी:– (क) Regional Connectivity Scheme के अन्तर्गत RCS एयरपोर्ट पर तथा प्रान्त के भीतर अवस्थित अन्य एयरपोर्ट से RCS उड़ानों के लिये, जिनकी सूची, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार तथा तेल कम्पनियों को उपलब्ध करायी जायेगी; और अथवा या (ख) गैर–महानगरीय शहरों के हवाई अड्डे को आधार(base) के रूप में उपयोग करने वाले विमानों हेतु, जिनके लिए एयरलाइन्स द्वारा गैर–महानगरीय एयरपोर्ट आधारित विमान के कॉल साइन नम्बर को इंगित किया जायेगा।	नि0 या आ0	01 प्रतिशत

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

DT:/M.Sir/Noti./ ATF(16-03-2017)

325
12/04/2017

सं0 155/2017/146(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4–अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

DT:/M.Sir/Noti./ ATF(16-03-2017)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.155/ 2017/146(120)/ XXVII(8)/2008, dated 12 April, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.155/2017/146(120)/ XXVII(8)/2008
Dehradun :: Dated:: 12 April, 2017

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in the public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, the following amendment in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, in supersession of the notification no. 62/2017/146(120) /XXVII(8)2008, Dated 25 January, 2017, -

Amendment

In Schedule III, for the existing entry at serial no. 4, the following entries shall be substituted; namely-

Sr. No.	Description of goods	Point of Tax	Rate of tax Percentage
4	(1) Aviation Turbine Fuel	M or I	20 percent
	(2) Aviation Turbine Fuel The specified 01 Percent tax rate shall be applied for a period of 10 years from the date of the notification of the Regional Connectivity Scheme, under the following conditions:- (a) At RCS Airports and for RCS flights from other Airports located within the State Under Regional Connectivity Scheme, a list of which will be provided by the Airports Authority of India (AAI) to the State Government and Oil Companies; and/or (b) For the aircrafts using a non-metropolitan city airport as a base for which the call sign number of the non-metro airport based aircraft will be indicated by the airlines.	M or I	01 Percent

(Amit Singh Negi)
Secretary

DT:/M.Sir/Noti./ ATF(16-03-2017)